

कार्यालय नगर परिषद उन्हेल, जिला उज्जैन (म.प्र.)

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विस्तृत जानकारी

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में दिनांक 30.01.2024 को पारित आदेश के अनुक्रम में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये विज्ञापन क्रमांक 892 दिनांक 13.08.2024 प्रसारित किया गया है।

स. क.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोगेटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाई संरक्षक	संविदा	8000 अथवा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर	0	0	1	0	5वीं कक्षा उत्तीर्ण

उपरोक्त पदों की पूर्ति के लिये विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:-

- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/ 1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार विज्ञापन प्रसारण दिनांक को निःशक्त अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी- 3- 8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
- दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैनुअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
- सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/मूल निवासी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निकाय के कार्यालय से ज्ञात की जा सकती है।
- यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।

13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. उल्लेखित पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्त किये जावेंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हों, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हों, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही चयन/कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्तानें जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेंगी।
22. प्राप्त आवेदनों की जाँच बाद मेरिट के आधार पर वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा। उक्त की सूचना आवेदक द्वारा दी गयी ई-मेल आईडी पर प्रेषित की जायेगी।
23. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

दिनांक:- 13.08.2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद उन्हेल जिला उज्जैन